"प्रेस विज्ञप्ति"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर की निष्प्रोज्य वाहन संख्या UK-02 G 1392 (एम्बेसडर) मॉडल 2004 का सार्वजनिक नीलामी विकास भवन परिसर बागेश्वर में दिनांक 15 मई 2017 को अपरान्ह 4 बजे जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष (जहां है जैसी है) उसी स्थिति में की जानी निश्चित हुई है। नीलामी की मुख्य शर्ते निम्न प्रकार है:–

1– नीलामी किये जाने वाली वाहन (एम्बेसडर) को किसी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक विकास खण्ड परिसर कठायतबाड़ा स्थित गैराज में देखा जा सकता है, वाहन जिस स्थिति में है, जहां पर है उसी स्थिति में नीलामी की जायेगी। इस हेतु वाहन की सार्वजनिक नीलामी में सम्मिलित होने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 12 मई 2017 के अपरान्ह 4:00 बजे तक अपना आवेदन उपलब्ध करा सकते है, इस हेतु उन्हें धरोहर धनराशि ₹ 10000.00 (दस हजार मात्र) नकद/स्थानीय चैक/ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

2– नीलामी उच्चतम बोली के आधार पर स्वीकार होगी।

3– किसी प्रकार की गिरोह बन्दी की स्थिति में नीलामी रद्ध करने का अधिकार समिति को होगा।

4– नीलामी की बोली लगाने हेतु केवल जमानत जमा करने वाले व्यक्ति/उनका प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति ही सक्षम होगा।

5– नीलामी की बोली ₹1000.00 के गुणांकों में बोली जायेगी।

6– वाहन का निर्धारित नीलामी मूल्य प्राप्त होने पर ही वाहन की नीलामी/बोली स्वीकार होगी। अन्यथा नीलामी रद्ध मानी जायेगी।

7– जिस व्यक्ति के नाम वाहन की नीलामी स्वीकृत होगी उसे नीलामी की पूर्ण धरोहर धनराशि को सम्मिलित करते हुए शेष धनराशि नकद/स्थानीय चैक द्वारा जिला विकास अधिकारी बागेश्वर के पक्ष में जमा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा धरोहर धनराशि जब्तकर ली जायेगी।

8– नीलामी की धनराशि के साथ यथा नियम वाहन से सम्बन्धित समस्त टैक्स पृथक से जमा करना होगा।

9– समिति द्वारा स्थल पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

10– नीलामी कार्यवाही को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा। जो सर्वमान्य व अन्तिम होगा।

(के0 एन0 तिवारी)
जिला विकास अधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी बागेश्वर।

पत्रांक 331 /वाहन --नीलामी/2017–18 दिनांक 2017 01-05-2017

प्रतिलिपि:– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषित।

1– जिला सूचना अधिकारी को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना जनहित में न्यूनतम शासकीय दरों पर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2– सूचना पट जिलाधिकारी कार्यालय/ तहसीलदार/नगर पालिका/विकास खण्डों/जिला पंचायत/ सार्वजनिक स्थल/कार्यालय सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु।

3– वाहन चालक/नाजिर जिला विकास कार्यालय बागेश्वर को परिपालनार्थ ।

4– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई0कृसी.) बागेश्वर को जनपद की वेब साईट में उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।

5– जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला विकास अधिकारी,
बागेश्वर।